



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122021-231577
CG-DL-E-03122021-231577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4583]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्रहायण 12, 1943

No. 4583]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4954(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अधिनियम, (2021 का 29), की धारा 3 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1687(अ) तारीख 23 अप्रैल, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

- (i) उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में, क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम
"2.	डॉ एन पी शुक्ला, पूर्व अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	पूर्णकालिक तकनीकी सदस्य

- (ii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्ष क्र. सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम
4A.	डॉ विभा धवन, महानिदेशक, ऊर्जा संसाधन संस्थान, दिल्ली	सदस्य

- (iii) उक्त अधिसूचना के पैरा 3 में, क्रम संख्या 18 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित उप शीर्ष क्र. सं. और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम
19.	श्री कामरान रिज़वी, अपर सचिव, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
20.	श्री श्याम किशन गुप्ता, ए-271, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज- I, नई दिल्ली -110020	सदस्य (प्रतिनिधि-उद्योग)
21.	प्रो. (डॉ.) चित्ररेखा काबरे, वास्तुकला विभाग, योजना एवं वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली।	सदस्य (प्रतिनिधि-निर्माण)

[फा. सं. क्यू-15014/01/2020-सीपीए]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्याक का.आ. 1687 (अ) तारीख, 23 अप्रैल, 2021 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2021

S.O. 4954(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, *vide* number S.O. 1687(E) dated the 23rd April 2021, namely:-

- (i) In the said notification, in paragraph 2, for serial numbers 2 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:-

Sl. No.	Name	Designation
“ 2.	Dr N P Shukla, Ex-Chairman, Madhya Pradesh Pollution Control Board.	Full-time Technical Member

- (ii) After serial numbers 4 and the entries relating thereto, the following sub-heading serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

Sl. No.	Name	Designation
4A.	Dr Vibha Dhawan, Director General, The Energy Resource Institute, Delhi	Member

- (iii) In the said notification, in paragraph 3, after serial numbers 18 and the entries relating thereto, the following sub-heading serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

Sl. No.	Name	Designation
19.	Shri Kamran Rizvi, Additional Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs	Member
20.	Shri Shyam Kishan Gupta, A-271, Okhla Industrial Area, —Phase-I, New Delhi -110020	Member (Representative-Industry)

21.	Prof. (Dr.) Chitrarekha Kabre, Department of Architecture, School of Planning and Architecture, New Delhi.	Member (Representative- Construction)
-----	--	---

[F. No. Q-15014/01/2020-CPA]

NARESH PAL GANGWAR, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1687(E) dated 23rd April, 2021.